न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/14/2018	12–04–2018	12–03–2020

01– नरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
02– नारंगी पुत्र बाज खां जाति मेव निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
03– रज्जू पुत्र ईशान जाति मेव निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
04– सुरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
05– विजय सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
06– नवल सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
07– सूका पुत्र बोदन जाति मेव निवासी ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–अपीलान्टान्

बनाम

01– अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर।
02– तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0।
03– भूमि अवाप्ति अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ इंतकाल संख्या 236 दिनांक 22.11.2017

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश कुमार यादव –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 22.11.2017 जिसके द्वारा दिनांक 03.06.1986 नामान्तरकरण संख्या 263 वाके ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ जिला अलवर बहाल रखा गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य आदेश की जानकारी दि. 15.02.2018 को हुई। नकल दि0 12.03.2018 को प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दि0 03.06.1986 गलत तरीके से दर्ज व स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अदालत श्रीमान् में अपील दायर की गयी थी। दि0 05.01.2016 को अपील स्वीकार –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

की जाकर आज्ञा दि0 03.06.1986 इंतकाल सं0 236 निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी कि इंतकाल सं0 236 में दर्ज खसरा नम्बरान् में सड़क/रास्ते के लिए भूमि अवाप्त हुई है अथवा नहीं तथा यह भूमि सड़क/रास्ते के काम आ रही भूमि की हद तक जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। अपीलांट्स व अन्य ग्रामवासियान की खातेदारी की आराजी पूर्व में सड़क साहडोली के लिए जरिये इंतकाल सं0 120 दि0 01.01.1979 को अवाप्त की गयी थी। जिसका मुआवजा दिया जाकर इंतकाल तस्दीक किया गया और मौके पर सड़क का निर्माण कर दिया गया। इसके उपरांत बिना कोई सड़क का निर्माण किये व बिना सड़क के निर्माण के लिए विधिक प्रक्रिया अपनाकर भूमि अवाप्त किये व बिना कोई मुआवजा दिये अधीनस्थ न्यायालय ने हम अपीलांट्स की खातेदारी आराजी के संबंध में आलोच्य आदेश पारित किया गया है। दोबारा इंतकाल तस्दीक कराने का कोई औचित्य नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दि0 22.11.2017 को अपने आदेश में इंतकाल सं0 236 आदेश दि0 03.06.1986 को यथावत रखने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया ना ही असल रैस्पो0 से कोई रेकॉर्ड प्राप्त किया। गलत तरीके से आदेश दि0 03.06.1986 को यथावत रखने का आदेश दिया है। अपीलांट्स को ना तो कोई भूमि अवाप्ति का नोटिस जारी किया गया ना विधिक प्रक्रिया अपनाकर हमारी आराजी को अवाप्त किया गया और ना ही कोई मुआवजा राशि अदा की गई। अपीलांट्स ने अदालत श्रीमान् में उक्त आराजी का मौका मुआयना का प्रा0पत्र पेश किया था जो स्वीकार किया जाकर मौका मुआयना किया गया। रिपोर्ट में अंकित किया कि जमाबंदी संवत् 2071–74 वाके ग्राम बलवंडका तह0 रामगढ़ खाता सं0 250 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम कुल किता 61 रकबा 6.76 है0 भूमि गै0मु0 सड़क दर्ज रेकॉर्ड है। इंतकाल सं0 236 में वर्णित आराजी खसरा 85, 86, 88मिन, 168 511, 512, 513 कूल किता 07 रकबा 2.21 है0 भूमि में सड़क बनी हुई है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। ग्राम केसरोली से ग्राम साहडोली तक की लम्बाई लगभग 1025 मीटर है। शेष खसरा नम्बरान में आबादी कृषि व अन्य कार्यों में काम आ रही है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.11.2017 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दि0 22.11.2017 के विरूद्ध दि0 09.04.2018 को पेश की गयी है। जो करीब 05 माह के विलम्ब पेश की गयी है। प्रा0पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों का विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि अपीलांट व अन्य ग्रामवासियान की खातेदारी की आराजी पूर्व में ग्राम साहडोली सड़क के लिए इंतकाल सं0 120 दि0 01.01.1979 से दर्ज व स्वीकार की गयी। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दे दिया गया। किन्तु इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 बिना किसी निरीक्षण के पुनः दर्ज कर दिया गया तथा पुनः दि0 22.11.2017 को उक्त इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 को यथावत् रखा गया है। इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 से संबंधित भूमि अवाप्ति का ना तो कोई नोटिस दिया गया ना अपीलांट को कोई मुआवजा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल के प्रथम पृष्ठ पर लगाया गया नोट दि0 16.11.2016 जिसकी नकल अपीलांट द्वारा दि0 26.09.2017 को प्राप्त की गयी है। तब तक उक्त नोट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना नहीं पाया जाता है। तहसीलदार रामगढ द्वारा अपने निर्णय दि0 22.11.2017 में लिखा है कि इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) भरतपुर के आदेशों के अनुसरण में दर्ज किया है। लेकिन उक्त आदेश का—

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कोई क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं किया है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त आदेश कब पारित किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार होकर रिमाण्ड योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 22.11.2017 जिसकी पालना में इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 वाके ग्राम बलवंडका तहसील रामगढ़ यथावत् रखा गया है, को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पारित अवॉर्ड की जांच कर इंतकाल सं0 236 दि0 03.06.1986 में दर्ज खसरा नम्बर में सड़क/रास्ते की भूमि अवाप्त की गई है या नहीं, की हद तक जांच कर पुनः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)